विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार यह प्रयास रहा है कि विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि देश में विद्युत की मांग की पूर्ति की जा सके।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान त्रिपुरा, मणिपुर और मध्य-प्रदेश राज्यों के संबंध में विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय निम्नवत् है:—

(करोड़ रुपये में)

	मणिपुर	त्रिपुरा	मध्य प्रदेश
आठवीं योजना			
1992-97	185.35	116.50	3563.36
1992-93	36.75	34.23	728.34
1993-94	39.80	41.50	718.34
1994-95	43.42	35.50	817.16
1995-96	44.50	48.00	800.63
1996-97	42.18	33.16	702.69
1997-98	43.00	28.66	638.32

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी

3931. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में शत-प्रतिशत विदेशी भागीदारी को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रुपयों में इन परियोजनाओं की अधिकतम लागत क्या होगी तथा इन परियोजनाओं का कार्य-क्षेत्र क्या होगा;

(ग) क्या इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति करने के मामले में सरकार का कोई अधिकार होगा; और

(घ) उपभोक्ताओं तथा लघु उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत की दर का निर्धारण कौन करेगा?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1991 में घोषित नीति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं के लिए 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) विद्युत परियोजना की लागत विभिन्न घटकों जैसे विद्युत संयंत्र का प्रकार, उपयोग किए जा रहे ईंधन का प्रकार व स्रोत तथा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करती है। इन परियोजनाओं के कार्यकलापों का क्षेत्र विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है।

(ग) निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति से संबंधित शर्तें एवं निबन्धन विद्युत उत्पादक और विद्युत यूटीलिटी के बीच निष्पन्न विद्युत क्रय समझौते भारत सरकार की दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना (यथा संशोधित), और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

(घ) इस प्रकार के निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति सामान्यतः ग्रिड को की जाती है और न कि प्रत्यक्ष रूप में विभिन्न उपभोक्ताओं को की जाती है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की दर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम (1948 का 14) के अनुसार यह दर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, जहां इनकी स्थापना हो गई हो, द्वारा निर्धारित की जायेगी।

Assessment of Hydro-Power Potential of North East Region

3932. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government has made any assessment of the Hydro Power Potential of North-East Region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the plans/programmes chalked out by Government to exploit this potential?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) According to the reassessment of hydro-electrical potential carried out by Central Electricity Authority between 1978—1987, the hydro-electrical potential of Major/Medium Schemes of the North East Region is assessed at 31,857 MW at 60% load factor. The statewise summary